

रांची में, मंगलवार दिनांक 21 नवम्बर, 2017 को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

### भवन निर्माण विभाग

1. Proposed Construction of Collectorate Building at Dhanbad कार्य की कुल लागत राशि रु0 33,94,00,000/- (तीस करोड़ चौरानबे लाख) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

### श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

2. श्री सरफराज हसन काजमी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, रांची के पद पर नियुक्ति के संबंध में। **स्वीकृत।**

### नगर विकास एवं आवास विभाग

3. नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थानों से उत्तीर्ण डिप्लोमाधारी अभियंताओं की कैम्पस सलेक्शन/चयन समिति द्वारा नियुक्त करन के संबंध में। **स्वीकृत।**

### नगर विकास एवं आवास विभाग

4. Global Investors Summit, 2017 के क्रम में राज्य में आधारभूत संरचना क्षेत्र अन्तर्गत निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों के सरलीकरण एवं शिथिलीकरण के संबंध में। **स्वीकृत। साथ ही 'किफायती आवास (Affordable Housing)' शब्द को परिभाषित किया जाय।**

### जल संसाधन विभाग

5. A.I.B.P. अंतर्गत भारत सरकार द्वारा फेज-I, II, III, IV तथा V के तहत स्वीकृत चेकडैम निर्माण की योजनाओं को पूर्ण करने हेतु ACA मद में अप्राप्त राशि रु0 40.74 करोड़ का व्यय राज्य योजना मद से करने का प्रस्ताव। **स्वीकृत।**

### सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

6. रांची में आयोजित ग्लोबल ईवेस्टर सम्मिट (मोमेंटम झारखण्ड)-2017 को सफल बनाने हेतु मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्राप्त मीडिया प्लान की राशि कुल रु0 40,55,22,000/- (चालीस करोड़ पचपन लाख बाईस हजार) मात्र झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि प्राप्त करने के संबंध में।

स्वीकृत।

### राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

7. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 22.02.2006 के मद संख्या-28 में लिये गये निर्णय के आलोक में निर्गत राज्यादेश संख्या-1041/रा०, दिनांक 24.03.2006 द्वारा 1 रुपये टोकन सलामी पर सेंटर फॉर रिसर्च एण्ड कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल एण्ड एरोमेटिक प्लान्ट की स्थापना हेतु पतजलि योगपीठ ट्रस्ट हरिद्वार को लीज पर बंदोबस्ती को रद्द करते हुए रांची जिलान्तर्गत अंचल बुण्डु, मौजा-दामी, थाना सं०-89, खाता सं०-101, प्लाट सं०-904, 907, 39 एवं 126, रकबा क्रमशः 41.65 एकड़, 7.15 एकड़, 9.46 एकड़ तथा 4.00 एकड़ अर्थात् कुल रकबा-62.26 एकड़ गैरमजरुआ खास भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-I) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-48/रा०, दिनांक 03.01.2017 के आलोक में प्रस्तावित भूमि का वर्तमान बाजार दर रु0 10,00,000/- (दस लाख) मात्र प्रति एकड़ की दर पर गणना की गयी सलामी राशि रु0 6,22,60,000/- (छः करोड़ बाईस लाख साठ हजार) मात्र तथा सलामी का 01 प्रतिशत वार्षिक लगान की राशि रु0 6,22,600/- (छः लाख बाईस हजार छः सौ) मात्र, लगान का 75% सेस रु0 4,66,950/- (चार लाख छियासठ हजार नौ सौ पचास) मात्र तथा लगान एवं सेस अन्य 29 (उन्तीस) वर्षों का एकमुश्त राशि रु0 3,15,96,950/- (तीन करोड़ पन्द्रह लाख छियानवे हजार नौ सौ पचास) मात्र अर्थात् कुल देय राशि रु0 9,49,46,500/- (नौ करोड़ उनचास लाख छियालीस हजार पांच सौ) मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-II) की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ Cultural-cum-Educational Complex, Residential School, Goshala, International School, Community Hall and Akshaya Patra Centralized Kitchen की स्थापना हेतु Great India Talent Foundation (महान भारत प्रतिभा संस्थान) के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बन्दोबस्ती के संबंध में।

इस शर्त के साथ प्रस्ताव स्वीकृत कि संदर्भित भूमि एक रुपये के टोकन सलामी पर Great India Talent Foundation (महान भारत प्रतिभा संस्थान) को 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ लीज बंदोबस्त किया जाय तथा टोकन राशि के आधार पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क प्रभार्य (Chargeable) किया जाए।

**मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग  
(समन्वय)**

8. राज्य के सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन संबंधी नीति एवं प्रक्रिया के परिमार्जन हेतु झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली-2000 में संशोधन करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

9. चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न उपकरणों, सामग्रियों के क्रय, सुरक्षा व्यय एवं निर्माण कार्य हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से कुल रु0 25,00,00,000/- (पचीस करोड़) मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

**मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग  
(संसदीय कार्य)**

:: अन्यान्य ::

10. "चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के एकादश सत्र को दिनांक 12.12.2017 से 15.12.2017 तक निम्न औपबंधिक कार्यक्रमानुसार आहूत करने की स्वीकृति दी गई—

दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 (मंगलवार)	—	1. शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो) 2. विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणिकृत प्रतियों का सभा पटल पर रखा जाना (यदि हो)। 3. शोक प्रस्ताव (यदि हो)
दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 (बुधवार)	—	1. प्रश्नकाल 2. वित्तीय वर्ष 2017-2018 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन।
दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 (गुरुवार)	—	1. प्रश्नकाल, 2. वित्तीय वर्ष 2017-2018 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद, मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण। 3. राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो)।
दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 (शुक्रवार)	—	1. प्रश्नकाल, 2. राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो)। 3. गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)।

ह0 / -  
(राजबाला वर्मा)  
मुख्य सचिव,  
झारखण्ड